किसानों को समय तथा निर्धारित दर पर बीज मिले यह सुनिश्चित करें : अरूण कुमार

बीकानेर, (कासं)। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों सहित किसानों की सहभागिता से किए जा रहे बीज उत्पादन की समीक्षा बैठक बुधवार को एनएसपी सभागार में आयोजित की गई। बैठक में बीज उत्पादन के लक्ष्य, प्रगति, आगामी एक्शन प्लान तथा इस संबंध में आ रही विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई।

विश्वविद्यालय के कुलगुरू डॉ अरूण कुमार ने कहा कि गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन से किसानों का विश्वविद्यालय के प्रति भरोसा और मजबूत होगा। इसे ध्यान में रखते हुए सभी केवीके तथा एआरएस गंभीरता से काम करें। किसानों के लिए प्री सीजनल खरीफ एडवाइजरी जारी की जाए। कृषि तथा पशुपालन वैज्ञानिक संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन दें। केवीके प्रगतिशील किसानों के साथ जुड़ें तथा स्थानीय किसानों को सही समय तथा उचित निर्धारित दर पर बीज मिले यह सुनिश्चित किया जाए।

चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के सी. पी. सचान ने मुख्य वक्ता के रूप में कहा कि प्रगतिशील किसान विश्वविद्यालय के स्टॉक होल्डर हैं। कृषि के लिए उत्तम बीज, मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई प्रबंधन प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। मात्र 45 फीसदी किसानों को ही वर्तमान में उत्तम बीज मिल पा रहा है। उत्तम बीज से फसल उत्पादन 25 प्रतिशत तक अधिक होता है। ऐसे में केवीके और अनुसंधान विंग पैशन के साथ काम करें। जलवायुवीय परिस्थितियों को चुनौतियों के रूप में लें। किसानों को वैकल्पिक फसल की तरफ लेकर जाएं।

वित्त नियंत्रक पवन कस्वां ने कहा कि गुणवत्ता युक्त बीज किसान के अच्छे भविष्य की बुनियाद है। बीज उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति के साथ विश्वविद्यालय की सभी यूनिट अपनी कमियों पर चर्चा कर सीड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के सामाजिक सरोकार सीधे तौर पर किसानों से जुड़े हैं।

किसान का एसकेआरएयू में भरोसा मजबूत हों इसके लिए वैज्ञानिक अपना सक्रिय योगदान दें। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कैलाश चौधरी ने कहा कि जिले में ग्वार और मोठ उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। आगामी खरीफ फसल बुवाई में आ रही चुनौतियों पर चर्चा करते हुए चौधरी ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों से संवाद कर तकनीक के साथ-साथ इन चुनौतियों के समाधान से जुड़ी जानकारी भी दी जायेगी।

इस दौरान अनुसंधान निदेशक डॉ विजयप्रकाश ने कहा कि सीड प्रोडक्शन में गुणवत्ता के साथ मात्रात्मक बढ़ोतरी की भी आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को प्रमाणित बीज का प्रयोग कर खेती करने का आव्हान करते हुए कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्रों पर उत्पादित बीज का उठाव सुनिश्चित हों इसके लिए समन्वित प्रयास किए जाएं।

प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ नीना सरीन ने कहा कि किसानों तक तकनीक और अच्छा बीज पहुंचने में केवीके की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने गंगानगर केवीके द्वारा उपज बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के सराहना की और कहा कि किसानों की समस्या का समय पर निदान हों, इसके लिए केवीके नियमित रूप से स्थानीय किसानों के संपर्क में रहें। इससे पहले राष्ट्रीय बीज परियोजना के प्रभारी ए. के. शर्मा ने विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों के बीज उत्पादन और लक्ष्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

गंगानगर के प्रगतिशील किसान तनवीर सिंह , कानासर के भगवाना राम सहित अन्य किसानों ने बीज उत्पादन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से वैज्ञानिकों को अवगत कराया। बैठक में विभिन्न विभागों के निदेशक, कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रभारी सहित अन्य अधिकारी और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे। डॉ जे. के. तिवाड़ी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे पहले सभी अधिकारियों ने विभिन्न यूनिट का निरीक्षण किया।

बीज उत्पादन समीक्षा बैठक को कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरू डॉ अरूण कुमार व सी. पी. सचान ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया।

- बीज उत्पादन समीक्षा बैठक आयोजित
- किसानों ने बीज उत्पादन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से वैज्ञानिकों को अवगत कराया
- विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों के बीज उत्पादन और लक्ष्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की

जोड़बीड़ में भूखंडों की लॉटरी से बिक्री

बीकानेर, (कासं)। विकास प्राधिकरण जोड़बीड़ को बसाने के लिए पूरी कोशिश में जुट गया है। जल्दी ही यहां 1600 भूखंडों की बिक्री एक साथ की जायेगी। इसके लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया जायेगा।

जोड़बीड़ आवासीय योजना पर से हाईकोर्ट की रोक 2017 में हट गई थी लेकिन उसके बाद तत्कालनी यूआईटी ने उसे संभाला ही नहीं। इस जमीन के लिए सरकार को पांच करोड़ 63 लाख रूपए जमा कराए गए थे। मगर वहां एक परिवार भी अब तक नहीं बस सका। जोड़बीड़ में कुल 5514 भूखंड हैं जिनमें से यूआईटी ने 2723 का आवंटन लाटरी से किया था। इनमें 250 इडब्लयूएस और 250 ही एलआईजी मकान भी हैं। लेकिन मामला कोर्ट में चले जाने से निर्माण अधूरा ही रहा।

जब से बीडीए बना तब से इसके विकास पर फोकस हो गया है। 500 हेक्टेयर में ये योजना बसाई गई थी। 2008 में जिन 2732 भूखंडों को खरीदा गया। अब सरकारी महकमों के दफ्तर वहां बनने के बाद इलाके की रंगत बदलने की कोशिश है। इसके साथ ही बीडीए खुद के भी भूखंड बेचकर योजना को आबाद करने का प्रयास कर रही है। यहां 30 एकड़ जमीन बीकानेर तकनीकी विवि, 16 बीघा जमीन आयुर्वेद कॉलेज और 10 बीघा जमीन बीकानेर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग के लिए आवंटित की गई है। जोड़बीड़ योजना को विकसित करने के लिए तत्कालीन यूआईटी ने पहले चरण में 'ए' ब्लॉक पर एक करोड़ रूपए खर्च करने की योजना बनाई थी।

28 गैस सिलेंडर जब्त

बीकानेर, (कासं)। मुख्यमंत्री तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के नेतृत्व में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध विक्रय, भंडारण और व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ रसद विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस श्रृंखला में बुधवार को प्रवर्तन अधिकारी मनीष अवस्थी के नेतृत्व में कार्रवाई में लूणकरनसर के कालू गांव में विमल भादाणी पुत्र कन्हैयालाल भादाणी के आवासीय परिसर के बाहर के कमरे में छानबीन की गई। मौके पर 28 घरेलू एलपीजी सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित पाए गए, जिन्हें जब्त किया गया। गौरतलब है कि इसी आवासीय परिसर में पूर्व में भी गैस सिलेंडर जब्ती की कार्यवाही माह जनवरी में की गई थी परंतु उक्त व्यक्ति विमल भादाणी द्वारा पुनः अवैध रूप से गैस सिलेंडर का भंडारण करने पर यह कार्यवाही की गई। कार्यवाही में कालू पुलिस थाने के एएसआई भंवरलाल व हैड कांस्टेबल रामसिंह के साथ जाब्ता भी मौजूद रहा। प्रवर्तन अधिकारी अवस्थी ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और एलपीजी गैस सिलेंडर के किसी भी तरह के अवैध भंडारण या उपयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जायेंगे। जिला प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल निर्धारित घरेलू कार्य में करने का आव्हान किया है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्र. :- LU2012/SGN/2025-26/101381 **लोक सूचना** दिनांक : 27.5.2025

श्री निखिल सिंघल पुत्र श्री मदन लाल सिंघल निवासी 353 विनोबा बस्ती, पायल सिनेमा, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री निखिल सिंघल पुत्र श्री मदन लाल सिंघल	चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 15 के किला नं. 3/10 में 0.0081 है. यथाकुल 0.0081 है.	कुल 0.0081 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 27.5.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्र. :- LU2012/SGN/2025-26/101380 **लोक सूचना** दिनांक : 27.5.2025

SN MALL AND MULTIPLEX PRIVATE LIMITED जरिये डायरेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता पुत्र श्री दिनेश कुमार गुप्ता निवासी 51 जी ब्लॉक, वार्ड नं. 26, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 1 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	SN MALL AND MULTIPLEX PRIVATE LIMITED जरिये डायरेक्टर ऋषभ गुप्ता पुत्र श्री दिनेश कुमार गुप्ता	चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 80 के किला नं. 14/1 में 0.0570 है. किला नं. 15 में 0.253 है. किला नं. 16 में 0.253 है. में से 0.1942 है. किला नं. 17/3 में 0.0570 है. में से 0.0173 है. किला नं. 25 में 0.253 है. में से 0.1687 है., यथाकुल 0.6902 हैक्टेयर	कुल 0.6902 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 27.5.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

पीबीएम की एमसीएच बिल्डिंग फिर से कोरोना मरीजों के लिए तैयार

बीकानेर, (कासं)। पांच साल पहले हाहाकार मचा चुके कोरोना की वापसी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने तैयारियों शुरू कर दी है।

पीबीएम हॉस्पिटल की एमसीएच बिल्डिंग को फिर से कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया गया है। वहां 20 बैड का आईसीयू और 100 बैड सामान्य लगाये गए हैं, लेकिन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट दो साल से बंद पड़ा है। इसका लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए कंपनी को लिखा गया है। आईसीएमआर के अनुसार देशभर में कोरोना के चार सब वेरिएंट्स और एक हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।

राजस्थान में इसकी एंट्री को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। एमसीएच बिल्डिंग को एक बार फिर से कोरोना रोगियों के लिए तैयार कर दिया गया है। वहां 20 बैड का आईसीयू बनाया गया है। सभी बैड वेंटिलेटर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सौ बेड सामान्य मरीजों के लिए रखे गए हैं। वर्ष 2020 और 21 में फैली इस महामारी के दौरान कोरोना के मरीजों को पहले सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और उसके बाद एमसीएच बिल्डिंग में ही रखा गया था।

एमसीएच पीछे मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया लेकिन दो साल से उसका लाइसेंस एक्सपायर पड़ा है। उसे रिन्यू करवाने के लिए प्लांट इंस्टॉल करने वाली कंपनी को लिखा गया है। इस प्लांट से ऑक्सीजन की सीधी सप्लाई आईसीयू और वार्डों में है।

लाइसेंस रिन्यू में देरी को देखते हुए मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट को तैयार कर दिया गया है। हालांकि चिकित्सकों का दावा है कि नया वेरिएंट बहुत की नॉर्मल है। सर्दी, जुकाम, खांसी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर भी यदि कोई मरीज पॉजिटिव आता है तो उसे एमसीएच में ही रखा जायेगा। सभी को कोविड एडवाइजरी का पालन करना होगा। पीबीएम हॉस्पिटल में कोरोना की जांच रूटीन में हो रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट में जाने वाले या गंभीर बीमार रोगियों की कोरोना जांच कराई जाती है।

- वहां 20 बैड का आईसीयू बनाया गया है। सभी बैड वेंटिलेटर से जुड़े हुए हैं
- इसके अलावा सौ बेड सामान्य मरीजों के लिए रखे गए हैं

दो कारों की टक्कर में चार जने घायल

नोखा, (कासं)। राजस्थान के जसरासर थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे 20 पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। काकड़ा से जसरासर की तरफ जा रही दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 4 जने घायल हुए।

स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को काकड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। महिला की स्थिति को देखते हुए उसे नोखा रेफर कर दिया गया। दोनों बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जीवप्रेमी बाबूलाल जांगिड़ और पूनमचंद ने घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही जसरासर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में शामिल एक कार इयारा बताई जा रही है। घायल करीना उम्र 10, छेलूराम उम्र 25 वर्ष, मैना उम्र 45, बबिता उम्र 22 वर्ष निवासी इंयारा कैम्प के है।

कैंसर हॉस्पिटल में फिर शॉर्ट सर्किट से लगी आग

बीकानेर,(कासं)। पीबीएम परिसर स्थित कैंसर हॉस्पिटल के बिजली के पैनल में फिर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई।

ऐहतियात के तौर पर तत्काल पूरी बिल्डिंग के ए.सी. बंद करवा दिए गए। घटना के दौरान एक मरीज का ऑपरेशन चल रहा था।

कैंसर हॉस्पिटल के बिजली के पैनल में 14 दिन बाद ही दुबारा आग लग गई। घटना दौरान ओपीडी चल रहा था। पूरा स्टाफ मौजूद था। जेनरेटर ऑपरेटर मफीक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल बिजली की सप्लाई बंद काट दी। बताया जाता है कि अर्थ वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिससे चैंज ऑवर स्विच जल गया था। बिजली का लोड कम करने के लिए ऑपरेशन थिएटर को छोड़कर सभी ए.सी.बंद करवा दिए गए।

इसका असर ऑपरेशन थिएटर पर नहीं पड़ा। प्रभावित एक एमसीबी को बंद कर दिया गया है।

गौरतलब है कि 13 मई की शाम को भी इसी पैनल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग खाली करानी पड़ी। मरीजों को हॉस्पिटल की अन्य शाखाओं में शिफ्ट करना पड़ा था।

गौरतलब है कि जेनरेटर ऑपरेटर मफीक की सेवाएं पिछले साल नवंबर में समाप्त कर दी गई थी। इसके विरुद्ध वह हाईकोर्ट से स्टे ले आया। जनवरी 2025 में उसे वापस ज्वॉइन तो करवा लिया, लेकिन वेतन नहीं दे रहे। मफीक ने इसके लिए संभागीय आयुक्त से गुहार लगाई है।

- कैंसर हॉस्पिटल के बिजली के पैनल में 14 दिन बाद ही दुबारा आग लग गई

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4035 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 28.5.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती वीनू बजाज पत्नी श्री चरणजीत बजाज निवासी म.नं. 143 गांधीनगर, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 38/47 किला नं. 09 में माप 24 इंटू 65 फीट भू.सं. 50, गांधीनगर श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का नियमन पट्टा सं. 115 दिनांक 22.05.2000 को श्री घनश्याम दास पुत्र श्री अमृत लाल के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती वीनू बजाज द्वारा उक्त भूखंड को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.12.2023 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखंड का ऑनलाइन नामांतरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्रीमती वीनू बजाज पत्नी श्री चरणजीत बजाज निवासी म.नं. 143 गांधीनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/209 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 27.5.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 40 के किला नं. 05 में भूखण्ड माप 30'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन/पटटा हेतु आवेदक श्रीमती श्वेता कालडा पत्नी श्री राकेश कुमार निवासी, मकान नं. 01 सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाता है। अत: उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती श्वेता कालडा पत्नी श्री राकेश कुमार निवासी, मकान नं. 01 सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 40 के किला नं. 05 में भूखण्ड माप 30'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वत: ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

Rajkaj Ref. No. 15309853 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2024-25 / 8700 दिनांक 26.05.2025

ई- निविदा-सूचना सं0 27/2024-25

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web site www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदा की कुल लागत 35.59 लाख

UBN Number :- DLB2526WSOB06038

आयुक्त

राज.संवाद / सी / 25 / 3218 नगर निगम, बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2024-25 / 8815-17 दिनांक 26.05.2025

ई- निविदा-सूचना सं0 30/2024-25

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web site www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदा की कुल लागत 48.56 लाख

UBN Number :- DLB2526WSOB06052

आयुक्त

राज.संवाद / सी / 25 / 3215 नगर निगम, बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज)

TelefaxNo.0154-2466652, Email:-uit_sgnr@yahoo.com
officeAddress:-uitoffice, Model Town, sri Gangannagar (Raj.) 335001

क्रमांक:-नियमन/2025/4030 दिनांक 28.5.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री नंद किशोर गुप्ता निवासी 14 शिव कॉलोनी गली नं.1, एसएसबी रोड़ श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 3ई छोटी मुरब्बा नं.22 के किला नं.08 में माप 25इन्टू50 फीट भूखण्ड संख्या एमई-60महालक्ष्मी एन्कलेव श्रीगंगानगर	पट्टा संया 4955 दिनांक 8.2.2016 को मैसर्स सैवन स्टार बिल्ड मार्ट प्रा.लि.जरिये डायरेक्टर्स किशन कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद एवं विक्रमजीत पुत्र श्री मुलखराज अरोड़ा के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री पंकज गुप्ता द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 26.4.2021 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री नंद किशोर गुप्ता निवासी 14 शिव कॉलोनी, गली नं. 1 एसएसबी रोड श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पंजीकृत वसीयतनामा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त द्रवधि के दौरान भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/ उजर स्वीकार नही होगा। आवेदन संख्या:-SGNR/FY25-26/MUT/152 सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज)

TelefaxNo.0154-2466652, Email:-uit_sgnr@yahoo.com
officeAddress:-uitoffice, Model Town, sri Gangannagar (Raj.) 335001

क्रमांक:-नियमन/2025/4029 दिनांक 28.5.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री नंद किशोर गुप्ता निवासी 14 शिव कॉलोनी गली नं.1, एसएसबी रोड़ श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 3ई छोटी मुरब्बा नं.6/7 के किला नं.12 में माप 25इन्टू50 66.6फीट भूखण्ड संख्या बी-164 अशोक नगर-बी श्रीगंगानगर	पट्टा संया 8830 दिनांक 6.9.2018 को श्री राजकमल पुत्र श्री भूपराम के नाम से नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किया हुआ है।	श्री पंकज गुप्ता द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 18.2.2020 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री नंद किशोर गुप्ता निवासी 14 शिव कॉलोनी, गली नं. 1 एसएसबी रोड श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पंजीकृत वसीयतनामा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त द्रवधि के दौरान भूखण्ड से सम्बन्धित समस्ता दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/ उजर स्वीकार नही होगा। आवेदन संख्या:-SGNR/FY25-26/MUT/182 सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर

कार बेकाबू होकर ट्रांसफॉर्मर से टकराई

बीकानेर, (कासं)। नापासर से देशनोक की ओर जाने वाले मार्ग पर दो दिन में दो सड़क हादसे हो गए। बाइक सवार युवक की सोमवार शाम को तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मौत हो गई थी। लगातार दूसरे दिन मंगलवार रात 9:30 बजे एक एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गोलाई के भीतर बने बिजली के ट्रांसफॉर्मर से जा टकराई। कार में सवार व्यक्ति को मामूली चोट आई है।

दरअसल सड़क पर बने मोड के पास ही ट्रांसफॉर्मर लगा है, जिससे हादसे हो रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने ट्रांसफॉर्मर हटाने और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। रात हुए हादसे में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गोलाई के भीतर बने बिजली के ट्रांसफॉर्मर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रांसफॉर्मर चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि कार में सवार व्यक्ति को मामूली चोट ही आई। उस समय बिजली चालू थी। घटना के तुरंत बाद मोहल्ले के लोगों ने मौके पर पहुंच कर विरोध-प्रदर्शन किया। हादसे के बाद क्षेत्र के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस सड़क के निर्माण के समय से ही स्पीड ब्रेकर की मांग की जा रही थी।

- नापासर-देशनोक मार्ग पर लगातार दूसरे दिन हुआ हादसा

प्